राजस्थान सरकार

कारखाना एवं बायलर्स निरीक्षण विभाग

कार्यालय मुख्य निरीक्षक, कारखाना एवं बायलर्स,राजस्थान,जयपुर–302004

क्रमॉक :एफ.1(2)6 / स्था. / का.बा. / 2022 पार्ट /   दिनॉक 01.08.2022

कार्यालय आदेश

राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा आयोजित शीघ्रलिपिक संयुक्त सीधी भर्ती परीक्षा, 2018 की प्रतियोगी परीक्षा में उत्तीर्ण अभ्यर्थियों को श्रीमान् शासन उप सचिव, प्रशासनिक सुधार (अनुभाग–3) विभाग से प्राप्त पत्र क्रमांक प.2(2)प्र.सु. / अनु.–3 / 22 जयपुर, दिनांक 13.07.2022 तथा माननीय राज्यमंत्री के डायरी क्रमांक रा.म / श्र.का.बॉ. / 2022 / 352 दिनांक 28.07.2022 तथा श्रीमान् शासन सचिव के डायरी क्रमांक 1493 / PS/S/lab/22 दिनांक 28.07.2022 की अनुपालना में राजस्थाम अधीनस्थ कार्यालय लिपिक वर्गीय सेवा नियम, 1999 के अन्तर्गत निम्नलिखित चयनित अभ्यर्थियों को कारखाना एवं बॉयलर्स विभाग में शीघ्रलिपिक के रिक्त पदों पर कार्मिक विभाग की अधिसूचना दिनांक 20.01.2006 एवं वित्त नियम विभाग की अधिसूचना क्रमांक प.15(1)वित्त / नियम / 2017 / दिनांक 30.10.2017 के अनुसार 02 वर्ष की अवधि के लिए परीवीक्षाधीन प्रशिक्षणार्थी (Probationer-Trainee) के रूप में नियत पारिश्रमिक रू0 23700 /– प्रतिमाह एवं परीवीक्षाकाल संतोषजनक रूप से पूर्ण करने के उपरान्त पे–मैट्रिक्स लेवल संख्या – 10 पर अधोलिखित शर्तो पर कार्यभार सम्भालने की तिथि से इस विभाग में नवीन पदस्थापन स्थान पर निम्नानुसार उनके नाम के आगे अंकित स्थान पर एतद् द्वारा नियुक्त किया जाता है:–

क्र.सं.	मेरिट क्रमांक	कैटेगरी	नाम	जन्म तिथि	कार्यालय का नाम एवं नवीन पदस्थापन स्थान	वि. विवरण
1.	206	OBC	श्री राकेश कुमावत	14.08.1998	उपमुख्य निरीक्षक कारखाना एवं बायलर्स, भीलवाडा	रिक्त पद के विरूद्ध
2.	503	GEN-EWS	श्री कैलाश शर्मा	15.03.1999	उपमुख्य निरीक्षक कारखाना एवं बायलर्स, अलवर	रिक्त पद के विरूद्ध
3.	642	OBC	श्री राकेश कुमार	15.05.1998	उपमुख्य निरीक्षक कारखाना एवं बायलर्स, जयपुर रीजन, जयपुर	रिक्त पद के विरूद्ध
4.	676	OBC	श्री संदीप कुमार	15.10.1993	वरिष्ठ निरीक्षक कारखाना (रसायन) औद्योगिक सुरक्षा प्रयोगशाला,जयपुर	रिक्त पद के विरूद्ध
5.	1592	ST	श्री राहुल मीना	08.04.2002	मुख्य निरीक्षक कारखाना एंव बॉयलर्स, राज0 जयपुर	रिक्त पद के विरूद्ध
6.	1795	SC	श्री विनोद बजाड़	08.09.1989	उपमुख्य निरीक्षक कारखाना एवं बायलर्स, जोधपुर	रिक्त पद के विरूद्ध

उक्त नियुक्तियॉ निम्नलिखित शर्तो के अधीन की जा रही है:–

1. अभ्यर्थियों की वरिष्ठता राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड, जयपुर के द्वारा जारी मेरिट के अनुसार रहेगी।

2. उपरोक्त अभ्यर्थी को आदेश जारी होने की दिनांक से 15 दिवस के अन्दर अपने पद का कार्यभार सम्भालना होगा। किसी कारणवश 15 दिवस में उक्त पद का कार्यभार संभालने में असमर्थ हो, तो पूर्ण विवरण के साथ कारण स्पष्ट करते हुए निम्नहस्ताक्षरकर्ता को सूचित कर देवें कि वे कब तक कार्यभार संभालेगें। निर्धारित अवधि में कार्यभार नहीं संभालने अथवा कोई उत्तर प्राप्त नहीं होने की स्थिति में नियुक्ति आदेश निरस्त करने की कार्यवाही की जावेगी।

3. अभ्यर्थी को कार्यभार ग्रहण करने से पूर्व नियम वेतन (Fix Pay) पर कार्य करने की अपनी सहमति लिखित रूप में प्रस्तुत करनी होगी।

4. उक्त नियुक्तियॉ सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के परिपत्र एफ.11/एसटी, एससी, ओबीसी,एसबीसी/जा.प्र.प./सामान्यअवि/2015/54159 दिनांक 09.09.2015, पत्रांक 63606–726 दिनांक 20.10.2015 एवं प0 11(204) आरएण्डपी/डीडीबीसी/सान्याअवि/2011/68999–69032 दिनांक 11.11.2016 में वर्णित दिशा–निर्देशों/सत्यापन के अध्यधीन पूर्णतया अस्थाई रूप से रहेगी।

5. परीवीक्षा काल (probation period) में इन्हें कोई वार्षिक वेतनवृद्धि देय नहीं होगी।

6. यदि अभ्यर्थी का कार्य एवं आचरण परीवीक्षा अवधि में कभी भी अथवा परीवीक्षाकाल की समाप्ति पर संतोषप्रद नहीं पाया गया अथवा परीवीक्षा काल की समाप्ति पर ली गई विभागीय परीक्षा यदि कोई हो तो में असफल रहने पर उन्हें बिना किसी क्षतिपूर्ति के सेवा से किसी भी समय विमुक्त किया जा सकेगा।

7. दो वर्ष की परीवीक्षा प्रशिक्षण अवधि में संतोषजनक सेवा पूर्ण करने के उपरान्त ही इनका वेतन निर्धारण शीघ्रलिपिक के पद पर पे–मैट्रिक्स लेवल संख्या–10 में नियमानुसार वेतन उस पर अन्य भत्ते देय होंगे।

8. परीवीक्षा प्रशिक्षण अवधि में अन्य सुविधा या अवकाश आदि राजस्थान सेवा नियमों में संशोधित प्रावधानों के अनुसार देय होंगे।

9. राज्य सरकार द्वारा जारी आदेश सं. एफ. 13(1)वित्त/नियम/2003 दिनांक 28.01.2004 एवं 27.03.2004 के तहत अंशदायी पेंशन योजना के प्रावधान लागू होगें एवं अन्य आदेश जो राज्य सरकार द्वारा जारी किये गये हो उनके अधीन ही सेवा एवं सेवा लाभ देय होंगे।

10. जो अभ्यर्थी पूर्व से ही नियमित राज्य सेवा में कार्यरत है उन्हें राज्य सरकार के नियमानुसार ही वेतन भत्ते देय होंगे परन्तु पदस्थापन पर कार्य ग्रहण के समय पूर्व नियोजक के द्वारा उचित माध्यम (Throgh Proper Channel) से कार्यमुक्त किये जाने का आदेश, अनापत्ति प्रमाण–पत्र एवं गत भुगतान प्रमाण–पत्र भी प्रस्तुत करना होगा।

11. उक्त नियुक्ति राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर जारी निर्देशों/परिपत्रों के अन्तर्गत शामिल होगी एवं समय–समय पर जारी किये गये निर्देश/परिपत्र लागू होंगे।

12. संबंधित अभ्यर्थीयों को पुलिस विभाग द्वारा चरित्र सत्यापन रिपोर्ट में कोई भी विपरीत तथ्य पाये जाने पर चयनित अभ्यर्थी की अभ्यर्थिता निरस्त करते हुए उनका चयन निरस्त किये जाने का अधिकार होगा। कार्यग्रहण करने से पूर्व संबंधित अभ्यर्थी को 50 रूपये के नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प पेपर पर इस आशय का शपथ–पत्र भी प्रस्तुत करना होगा

कि पुलिस विभाग द्वारा चरित्र एवं पूर्व–वृत्त सत्यापन के दौरान कोई भी विपरीत तथ्य पाये जाने पर चयनित अभ्यर्थियों की अभ्यर्थिता निरस्त करते हुए उनका चयन निरस्त किये जाने का अधिकार होगा।

13. परीवीक्षाधीन प्रशिक्षण अवधि के दौरान (नियम) विभाग की अधिसूचना संख्या एफ.12(6)एफडी/रूल्स/ 05 दिनांक 13.03.2006, 6(6)एफडी/रूल्स/2005 दिनांक 13.03.2006, 1(2)एफडी/रूल्स/2006 दिनांक 13.03.2006, 13(1)एफडी/रूल्स/2003 दिनांक 13.03.2006 एवं राजस्थान सिविल सेवा (संशोधित वेतनमान) नियम, 2008 दिनांक 30.10.2017 के अन्तर्गत नियम पारिश्रमिक (Fixed Remuneration) के हकदार होगें इसके अतिरिक्त अन्य भत्ते यथा–मकान किराया भत्ता, मंहगाई भत्ता, शहरी क्षतिपूर्ति भत्ता, विशेष वेतन आदि देय नहीं होगें। यह पारिश्रमिक माननीय उच्च न्यायालय की खण्डपीठ में हुए निर्णय के विरूद्ध माननीय सवोच्च न्यायालय में की गई एस.एल.पी. 25565/2015 राजस्थान राज्य बनाम गोपाल कुमावत के निर्णय के अध्यधीन होगा।

14. अभ्यर्थियों को कार्यग्रहण करने से पूर्व 50/–रूपये सममूल्य के नॉन ज्युडिशियल स्टाम्प पर इस आशय का शपथ–पत्र प्रस्तुत करता होगा कि उनके द्वारा आवेदन पत्र में दी गई समस्त सूचनाएं एवं संलग्न किये गये प्रमाण–पत्र सत्य है। प्रस्तुत दस्तावेजों में से कोई दस्तावेज/सूचना असत्य/फर्जी पाये जाने पर राज्य सरकार इनके सेवायें तत्काल समाप्त कर सकेगी।

15. सभी अभ्यर्थियों की जन्म तिथि उनके द्वारा प्रस्तुत सैकण्डरी परीक्षा उत्तीर्ण करने के मूल प्रमाण–पत्र के आधार पर अंकित की गई है। अंकित की गई जन्म तिथि अपरिवर्तनीय होगी।

16- अभ्यर्थी की नियुक्ति तिथि शीघ्रलिपिक के पद पर कार्यग्रहण की तिथि से मान्य होगी।

17- अभ्यर्थी को कार्यभार सम्भालने हेतु किसी प्रकार का यात्रा भत्ता देय नहीं होगा एवं कार्यभार सम्भालने की रिपोर्ट 2 प्रतियों में तैयार की जावें। एक प्रति संबंधित अधिकारी एवं दूसरी प्रति मुख्य निरीक्षक, कारखाना एवं बॉयलर्स, राजस्थान, जयपुर को आवश्यक रूप से भेजें। अभ्यर्थी कार्यभार संभालने की रिपोर्ट ई–मेल rajfab@rajasthan.gov.in के माध्यम से भी भेजी जावें।

sd

(हरीश कुमार गुप्ता)
मुख्य निरीक्षक कारखाना एवं बायलर्स,
राजस्थान, जयपुर।

कमॉक :एफ.1(2)6/स्था./का.बा./2022 पार्ट/2169-2184 दिनॉक **01.08.2022**

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:–

1. शासन उप सचिव, प्रशासनिक सुधार (अनुभाग–3) विभाग से प्राप्त पत्र क्रमांक प.2(2)प्र.सु./अनु.–3/22 जयपुर, दिनांक 13.07.2022 के क्रम में।
2. सचिव, राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड, जयपुर।
3. श्री सुभाष चौधरी, प्रोग्रामर आई. टी. सैल कारखाना एवं बॉयलर्स मुख्यालय, राजस्थान, जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि उक्त कार्यालय आदेश विभाग की वेबसाईट पर अपलोड़ किया जाना सुनिश्चित करें।
4. उप मुख्य निरीक्षक/वरिष्ठ निरीक्षक/निरीक्षक कारखाना एवं बायलर्स, ...को प्रेषित कर लेख है कि अभ्यर्थी की कार्यग्रहण की सूचना से शीघ्र इस कार्यालय को अवगत करावें, ताकि सूचना प्रशासनिक सुधार (अनुभाग–3) विभाग को भिजवायी जा सकें।
5. संबंधित अभ्यर्थी श्री...
6. संबंधित कोषाधिकारी ।
7. निजी/रक्षित पत्रावली।

01-08-2022

मुख्य निरीक्षक कारखाना एवं बायलर्स,
राजस्थान, जयपुर।